भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3517

सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक)

लघु और मध्यम उद्योगों में बाल श्रम

3517. श्री कुनार हेम्ब्रम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सहित देश में लघु और मध्यम उद्योगों में बाल श्रम का व्यापक उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जवाबदेही तय की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): जनगणना 2011 के अनुसार, देश में 5-14 वर्ष के आयु समूह के मुख्य कामगारों की संख्या 43,53,247 है तथा पश्चिम बंगाल राज्य में 2,34,275 है।

बाल श्रम की उपस्थिति सामाजिक-आर्थिक घटकों से उत्पन्न एक जटिल समस्या है। भारत सरकार ने बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अनेक कदम उठाए हैं।

सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया है तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है जो दिनांक 1.9.2016 से लागू हुआ। इस संशोधन अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में नियोजन पर पूर्ण निषेध और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों का जोखिमकारी व्यवसायों एवं पक्रियाओं में नियोजन पर निषेध का प्रावधान है। इस संशोधन अधिनियम में अधिनियम का उल्लंघन करने पर नियोक्ताओं के विरुद्ध कड़े दण्ड का भी प्रावधान है तथा अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

अधिनियम में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार, जो कोई भी उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी बच्चे को नियोजित करता है अथवा काम करने की अनुमति देता है, वह ऐसी अवधि तक कारावास में दण्डित किया जाएगा जो छह माह से कम नहीं होगी लेकिन जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जिसे पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा। बशर्ते कि इन बच्चों के माता-पिता या अभिभावक तब तक दण्डित नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे ऐसे बच्चे को अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अनुमति नहीं देते।

बाल श्रम अधिनियम में संशोधनों के माध्यम से विधायी ढ़ांचे को सशक्त करने के बाद, सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन नियम, 2017 भी बनाएं हैं जिनमें अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों और जिला प्राधिकारियों के कर्तव्यों और दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है।

*****